तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.2.12	वकीलान फरीकैन उपस्थित, बहस हेतु समय चाहते हैं, मौका दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 2.3.12 को पेश हो।
2-3-12	अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-3-12 को पेश हो। [illegible]
12.3.12	वकीलान फरीकैन उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी सैनी ने प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आ० ख० नं० 564/0.63 वाके कस्बा नगर तहसील नगर सायल एवं गैरसायलान की शामलाती कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर वे शामिल रूप से काबिज हैं। गैरसायलान उक्त आराजी से सायल को बेदखल करने पर उतारू हैं, यदि वे अपने इरादे में सफल हो गये सायल को अपूरणीय क्षति होगी। अंत में निवेदन किया है कि गैरसायलान को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वि० आ० में सायल के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत न करें, रहन-बय व इन्तकाल न करें, सायल को बेदखल न करें। प्रा० पत्र दर्ज रजि० किया जाकर सायल को एकतरफा सुना गया तथा गैरसायलान के विरुद्ध दिनांक 3-1-12 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी की गई कि - "वे दिनांक 7.2.12 तक वि० आ० ख० नं० 564/0.63 वाके कस्बा नगर को रहन बय व इन्तकाल नहीं करें तथा प्रार्थी को बेदखल नहीं करें।" [illegible] विरुद्ध दिनांक 7-2-12 के एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी [illegible] 3 ने जवाब प्रा० पत्र का [illegible] पेश [illegible] कि वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत व झूठे तथ्यों व गलत तथ्यों व गलत रिकॉर्ड के आधार पर — लगातार·

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.04.12 12:49:58 IST
Reason: SelfAttested

घंसी vs रामजीलाल वगैरा
प्रा०पत्र सं० 8/12 U/S 212 R.T.Act

6/5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
निर्णय - [illegible].3.12	गैर सायलान की आपत्ति जो हड़पने तथा सायल को परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है कि आ० ख० नं० 564/0.63 में सायल का कुल रकबा मुताबिक रिकार्ड 2 बीघा 11 बिस्वा यानि 51 टेयर बनता है जिसमें से सायल ने 22 टेयर रकबे को गैरसायल वि० प० 5 को बेचान कर दिया, इस प्रकार सायल के 19 टेयर रकबा शेष बचता है, जबकि राजस्व रिकार्ड में गलती से 31 टेयर दर्ज हो गया, इसी प्रकार इन गैर सायलान के पिता / बब्बा रामसहाय पुत्र पांच्या जाति धोबी का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा था जो राजस्व रिकार्ड में 10 टेयर ही दर्ज किया गया जिसकी बाबत गैर सायलान ने प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नगर ने शुद्धि पत्र सं. 27 दि. 31.1.12 से रकबा दुरस्त कर सायल का हि० 21/63 तथा गैर सायलान का हि० 20/63 दर्ज कर दिया, इस प्रकार सायल न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, गलत रिकार्ड प्रस्तुत कर गैर सायलान की आपत्ति को हड़पना चाहते हैं। अंत में निवेदन किया है कि प्रार्थना-पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावे। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं 2063-66 में आ० ख० नं० 564/0.63 की बाबत - "घन्सी पुत्र रामलाल जाति कोली 31/63 हि० रामसहाय पुत्र पांच्या 10/63 हि० कौम धोबी छोटेलाल रूपसिंह पि० नन्दू 22/63 हि० कौम खटीक नि० देह खातेदार" दर्ज है तथा शुद्धि पत्र सं 28 दि. 13.1.12 से घन्सी पुत्र रामलाल हि० 21/63 कौम कोली छोटेलाल रामसहाय पुत्र पांच्या हि० 20/63 कौम धोबी रूपसिंह पि० नन्दू हि० 22/63 कौम खटीक नि० देह खातेदार स्वीकार हुआ" का नोट अंकित है इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वि० आ० [illegible] खातेदार दर्ज है। वि० आ० सायल एवं गैरसायलान [illegible] है। सायल एवं गैरसायलान को अविभाजित [illegible] अंदेशा एक तरह खातेदारों के विभाजन [illegible] जारी नहीं किया जा सकता [illegible] खारिज किया जाता है तथा दिनांक 3.[illegible].12 को जारी T.I. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल - शुमार होकर [illegible] के साथ संलग्न रहे। (शौकत अली) उपखण्ड अधिकारी वयर (भरतपुर) राज०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.04.12 12:49:58 IST
Reason: SelfAttested